भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5678

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नीट परीक्षा प्रणाली

5678. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से प्रति व्यक्ति डॉक्टर की संख्या बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों की संख्या में हुई वृद्धि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मेडिकल शिक्षा को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनईईटी परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ताकि गरीब छात्रों को अधिक अवसर मिल सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 13,86,150 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है। विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान एमबीबीएस सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या के बारे में राज्यवार डेटा **अनुलग्नक** में है।

(ग): संबंधित राज्य शुल्क विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए शुल्क संरचना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। देश में चिकित्सा शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाने के लिए, सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुल्क संरचना में भारी सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (एनएमसी), 2019 की धारा

10 की उप-धारा (1) के खंड (i) में अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित निजी चिकित्सा संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत (50%) सीटों के संबंध में शुल्क और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का प्रावधान है। तदनुसार, एनएमसी ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और उन्हें दिनांक 03.02.2022 को जारी किया गया।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा है, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

*****

दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5678 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान एमबीबीएस सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या के संबंध में राज्यवार डेटा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मेडिकल कॉलेज		एमबीबीएस सीट	
		2019-2020	2023-2024	2019-2020	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	100	114
2	आंध्र प्रदेश	30	37	5160	6485
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	50	50
4	असम	6	13	900	1550
5	बिहार	14	21	1740	2765
6	चंडीगढ़	1	1	100	150
7	छत्तीसगढ़	9	14	1220	2005
8	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	150	177
9	दिल्ली	9	10	1315	1497
10	गोवा	1	1	180	180
11	गुजरात	29	40	5550	7150
12	हरियाणा	12	15	1760	2185
13	हिमाचल प्रदेश	7	8	870	920
14	जम्मू एवं कश्मीर	8	12	985	1339
15	झारखंड	3	9	680	980
16	कर्नाटक	59	70	9145	11745
17	केरल	34	33	4205	4655
18	मध्य प्रदेश	22	27	3470	4800
19	महाराष्ट्र	52	68	8580	10845
20	मणिपुर	2	4	225	525
21	मेघालय	1	1	50	50
22	मिजोरम	1	1	100	100
23	उड़ीसा	11	17	1650	2525
24	पुदुचेरी	8	9	1230	1830
25	पंजाब	8	12	1075	1800
26	राजस्थान	22	35	3900	5575
27	सिक्किम	1	1	100	150
28	तमिलनाडु	49	74	7150	11650
29	तेलंगाना	32	56	4990	8490
30	त्रिपुरा	2	2	225	225
31	उत्तर प्रदेश	55	68	7525	9903
32	उत्तराखंड	5	8	725	1150
33	पश्चिम बंगाल	24	35	3850	5275
34	नागालैण्ड	-	1	-	100
35	आईएनआई	16	*	1357	*

* वर्ष 2023-24 के लिए आईएनआई और उनकी एमबीबीएस सीटों की संख्या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है।

*****